झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 15 माघ 1940 (श0) ..... को 04 फरवरी, 2019 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
107 उ0 सं0	अ0सू0–25	श्रीमती गीता कोड़ा,	प्रस्ताव पर अमल।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.01.2019
108 उ0 सं0	अ0सू0–29	श्री सुखदेव भगत,	रैंक में बेहतरी लाना।	योजना सह–वित्त	30.01.2019
109 उ0 सं0	अ0सू0–27	श्री बिरंची नारायण,	सुरक्षा कानून का प्रवधान ।	सूचना एवं जनसम्पर्क	24.01.2019
110 उ0 सं0	अ0सू0–26	श्री प्रदीप यादव,	मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.01.2019
* 111 उ0 सं0	अ0सू0–28	श्री योगेश्वर महतो,	भागीदारी सुनिश्चित कराना ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा ~~राभाषा~~ राजभाषा	27.01.2019

राँची
दिनांक–04 फरवरी,2019 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

* कार्मिक विभाग के ज्ञापांक - 800, दिनांक - 28/01/19 के द्वारा गृह कार एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानान्तरित।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03 / 2015–.....1105..... / वि0स0,रांची,दिनांक– 02/02/19

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा / मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2019

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03 / 2015–.....1105..... / वि0स0,रांची,दिनांक– 02/02/19

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / निजी सहायक,आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2019

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03 / 2015–.....1105..... / वि0स0,रांची,दिनांक– 02/02/19

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा / आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2019

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय /

31/01/19

(107)

श्रीमती गीता कोड़ा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस मुख्यालय का 68 महत्वपूर्ण प्रस्ताव वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 गृह विभाग में लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस मुख्यालय से समय–समय पर विभिन्न मामलों से संबंधित प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होते रहते हैं जिनका आवश्यक परीक्षण/समीक्षा के पश्चात अनेकों मामलों में अतिरिक्त सूचनाएँ/त्रुटि निराकरण हेतु पुलिस मुख्यालय को लिखा जाता है एवं स्मार भी भेजे जाते हैं। आवश्यक त्रुटि निराकरण के पश्चात प्रस्तावों पर समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रस्ताव के तहत कई जिलों में थाना और ओपी का सृजन–पुर्नगठन, सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना, ट्रैफिक थाना खोलने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित विषय पर आजतक कोई पहल सरकार द्वारा नहीं करने के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य पुलिस महकमा का नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–03 में वर्णित विषय के आलोक में खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित प्रस्ताव पर अमल व क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विगत वर्षों में राज्य में 18 पुलिस अनुमंडल, 13 थाना, 4 ओ०पी० को थाना में उत्क्रमण, 03 ओ0पी0, 03 यातायात थाना एवं 06 साइबर थाना का सृजन किया गया है। सम्प्रति 01 पुलिस अनुमंडल, 01 थाना एवं 02 ओ०पी० का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–09/2019–687/ राँची, दिनांक– 01/02/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–854, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

108

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–29 की उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 के दो मानकों गरीबी मिटाना और भूखमरी खत्म करना के लक्षित मामलों में देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बीच झारखण्ड का रैंक 29वां है, जो खराब प्रदर्शन को इंगित करता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ''अच्छा स्वास्थ्य'' लक्षित मामले में झारखण्ड का स्थान पूरे देश में 23वां तथा ''आर्थिक विकास'' के मामले में 25वां है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सतत् विकास लक्ष्य के लक्षित मामलों में रैंक में बेहतरी लाने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों नहीं?	सरकार सतत् विकास लक्ष्य के रैंक में बेहतरी लाने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है।

झारखंड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक 10/वि0स0(4)–20/19...143(यो.)... दिनांक...02.02.2019...

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1016 दिनांक 30.01.2019 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/2/19

(अखिलेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(109)

दिनांक 04.02.2019 को श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत राज्यभर के पत्रकार "पत्रकार सुरक्षा कानून" बनाने की मॉग कर रहे है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मुर्शरफ सिद्दिकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून को विधान–सभा से पारित किया है ;	इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2018 तक राज्य में संघर्षरत कुल 5 पत्रकारों की हत्याएँ हो चुकी हैं और लगातार उन पर हमला होते रहता है ;	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, पत्रकारों के कल्याणार्थ झारखण्ड में पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रावधान करने का विचार रखती है हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त कार्यालयों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत विभाग यथोचित विचार करेगी।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/08/2019–सू०ज०स०.....71..... रांची,दिनांक.....1/2/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/19
सरकार के उप सचिव

(110)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले के कैदी महेन्द्र बेसरा की अस्वाभाविक मौत संदेहास्पद स्थिति में दिनांक–13.10.2018 को हुई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। बंदी महेन्द्र बेसरा की मृत्यु ईलाज के दौरान दिनांक–12.01.2018 के पूर्वा० 11.02 बजे सदर अस्पताल गोड्डा में हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय बेसरा के परिजनों ने कैदी की मौत पर जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब कैदी महेन्द्र बेसरा की मौत पर उच्च स्तरीय जांच कराना एवं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में उपायुक्त, गोड्डा एवं कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वस्तुस्थिति निम्नवत् है– बंदी महेन्द्र बेसरा की मृत्यु दिनांक–12.10.2018 को सदर अस्पताल, गोड्डा में ईलाज के दौरान हुई है। उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के द्वारा इनका inquest किया गया है। इसके अतिरिक्त inquest तथा post-mortem की विधिवत् videography राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, "As per opinion of doctor, cause of death is natural due to cronic illness of the heart, lung and liver." उक्त से संबंधित Magistrial Enquiry अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा की गयी है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त बंदी की मृत्यु ईलाज के क्रम में हुई है और मृत्यु के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेहात्मक एवं इलाज के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही जैसी बातें सामने नहीं आई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–02 / 2019–.....685/ राँची, दिनांक– 01 /02/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–853, दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/02/19
सरकार के अपर सचिव।

(111)

श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–04.02.2019 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड/वनांचल पृथक राज्य का आन्दोलन जो जन आन्दोलन के रूप में वर्ष 1939 से शुरू होकर 15 नवम्बर 2000 (झारखण्ड बनने तक) जारी रहा, जिससे भुक्तभोगी बहुत कम आन्दोलनकारियों को अगस्त 2015 से राज्य सरकार द्वारा 3000/– रू0 एवं 5000/– रू0 प्रतिमाह पेंशन देने की शुरूआत की गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड/वनांचल चिन्हितीकरण आयोग द्वारा चिन्हित किये गये आंदोलनकारियों को प्रावधान के अनुसार पेंशन दिया जा रहा है।
	क्या यह बात सही है कि बहुत सारे आन्दोलनकारियों को तत्कालीन बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा अस्वस्थ परम्परा के तहत् दर किनार करने के लिए न प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही जेल भेजा गया, जिसके चलते वैसे आन्दोलनकारी पेंशन के हकदार नहीं हो सके है, परिणामतः वैसे आन्दोलनकारी अपने को उपेक्षित एवं तिरस्कृत समझ रहे है।	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड/वनांचल चिन्हितीकरण आयोग को साधन सम्पन्न बनाते हुए इसका कार्यकाल दो वर्ष करने हेतु अधिसूचना जारी करने, आवेदन लेने की तिथि को एक वर्ष बढ़ाने, आन्दोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता खत्म कर तत्कालीन नेतृत्वकर्त्ता की अनुशंसा पर चिन्हित कर आन्दोलनकारियों को पेंशन के योग्य मानने, पेंशन की राशि को बढ़ाने, इन्हें राजनैतिक हिस्सेदारी एवं सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार विभागीय संकल्प सं०–2108, दिनांक–07.05.2012 के आलोक में झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारियों के मान–सम्मान प्रदान करने एवं उनके कोटि के अनुरूप पेंशन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने हेतु आयोग का कार्यकाल अन्तिम रूप से दिनांक–09.08.2019 तक विस्तारित की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–903/2019–.....684...../राँची, दिनांक– 01/02/2019 ई०।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–931 दिनांक–27.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।